2017 का विधेयक संख्यांक 222

[दि रिप्रेजन्टेशन ऑफ दि पीपुल (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिंदी अनुवाद]

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
का और संशोधन
cरने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अंतरराष्ट्रीय वर्ष में संसद द्वारा निर्मलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

5 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह उस लारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राज्य में अधिसूचना

द्वारा, नियत करे।
अध्याय 2

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का संशोधन

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 की उपधारा (6) में,-- 1950 का 43

(i) "व्यक्ति की पत्नी" शब्दों के स्थान पर, "व्यक्ति का पति या पत्नी" शब्द रखे जाएंगे ; 5

(ii) "निवास करती हो तो ऐसी पत्नी" शब्दों के स्थान पर, "निवास करता हो या करती हो तो ऐसे पति या पत्नी" शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय 3

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का संशोधन

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 में,-- 10 1951 का 43

(i) खंड (ख) के उपखंड (ii) के स्थान पर, सिम्बलिशित उपखंड रखा जाएगा,
अर्थात् :--

"(ii) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसको 1950 के अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) के उपर्युक्त लागू होते हैं, की पत्नी या का पति और ऐसी पत्नी या ऐसा पति उस धारा की उपधारा (6) के सिम्बलिशित उपखंड के साथ मामूली तौर पर निवास कर रही हो या कर रहा हो।";

(ii) खंड (ख) के पर्यावरण, सिम्बलिशित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा,
अर्थात् :--

"(ख) किसी व्यक्ति को, जो 1950 के अधिनियम की धारा 20क में निर्दिष्ट किया गया है, निर्वाचन क्षेत्र में के किसी निर्वाचन में स्वयं या परोक्षी 20
द्वारा, न कि किसी अन्य रीति में, अपना मत देने में।"।
उद्देश्यों और कारणों का कथन

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 लोक सभा और राज्य के राज्य विधान-मंडलों में स्थानों के आबंटन, उनके लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, ऐसे निर्वाचनों से मतदाताओं की अहंताओं, निर्वाचक नामांकनों को तैयार करने, राज्य सभा में संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों को भरने की रीति और तत्समक्त विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था | वर्ष 1951 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम संसद के सदनों और हर एक राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के लिए निर्वाचनों के संचालन के लिए, उन सदनों की सदस्यता के लिए अहंताओं और निर्वाचनों के लिए, ऐसे निर्वाचनों में या उनसे संसक्त भूष्ट आयुक्तों और अन्य अपराधों के और ऐसे निर्वाचनों से उद्धृत या संसक्त शंकाओं और विवादों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था |

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क निर्वाचन नामांकनों में प्रवासी निर्वाचित कार्यों के निर्देशक कुशल और नामांकन के लिए उपबंध करती है | निर्वाचन निर्देशक कुशल निम्न, 1960 में यह उपबंधित है कि प्रवासी निर्वाचन स्थल को पासपोर्ट और विधिमान बीमा की स्व अनुमानित प्रतियों के अधार पर उनके अपने अपने निर्वाचन-शेखरों की निर्वाचन नामांकनों में रजिस्टर कर सकते हैं और विनिर्देश विदेश केंद्रों पर मतदान करने और उनके अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा मूल पासपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपने निर्वाचन कार्य का प्रयोग कर सकते हैं | अत: , उक्त नियम प्रवासी निर्वाचित कार्यों के लिए भारत में उनके निर्वाचन केंद्र पर शारीरिक उपस्थिति का नियम करते हैं | इससे मतदान के दिन भारत में उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने में प्रवासी निर्वाचित को कठिनाई होती है |

3. प्रवासी निर्वाचित के समूह आने वाली उपरोक्त कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बाह्य मतदान की रीति अर्थात परोक्ष द्वारा मतदान को सुकृत बनाने के व्यवहारकृत्त्व पर विचार किया है जिसके द्वारा ऐसे निर्वाचन विदेशों में अपने निर्वाचन स्थान से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं | तदनुसार, निर्वाचनों का संचालन निम्न, 1961 में अधिकृत सत्ता के अधिक रहने हेतु प्रवासी निर्वाचित को उनके और से निर्वाचन में मतदान करने के लिए परोक्ष नियुक्त करने जहां सरकार के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 का संपादन करने का प्रस्ताव है | इससे वर्तमान में प्रवासी निर्वाचितों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के संबंध में उनके समूह आने वाली कठिनाइयाँ परायन्त्र रूप से कम होगी |

4. इस उपबंधों को लिंग निरपेक्ष बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 का संपादन करने का भी प्रस्ताव है |

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है |

नई दिल्ली;
रविशंकर प्रसाद
19 नवम्बर, 2017
प्रत्यायोजित विधान के बारे में जापान

विधेयक का खंड 4, केन्द्रीय सरकार को उपखंड (खंड) के अधीन विनिर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, जो, अन्य बातों के साथ, प्रवासी निवासियों द्वारा निवासियों का संचालन नियम, 1961 में आवश्यक संशोधन करके उनकी ओर से मत डालने के लिए परिक्षी की लियुकित के माध्यम से मताधिकारी का प्रयोग करने के लिए रीति और कार्यप्रणाली से समस्तिधित है।

2. मूल अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (3) में यह अपेक्षित है कि उक्त अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनायें जाएं जाने के पश्चात् यथाशीर्षिसंसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

3. वे विषय, जिनके सम्बन्ध में नियम बनाये जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम संख्यांक 43) 
से उद्धरण

20. (1)

(६) यदि ऐसे किसी व्यक्ति की पत्नी, जैसे व्यक्ति के प्रति उपवास (३) या उपवास (४) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से निवास करती हो, तो ऐसी पत्नी के बारे में यह समझ जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपवास (५) के अधीन निर्दिष्ट किये गए निर्वाचन-श्रेणी में मामूली तौर से निवासी है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्यांक 43)
से उद्धरण

60. धारा 59 में अन्तर्विद्ध उपबंधों की व्याख्या पर प्रतिकूल प्रमाण दालने विना, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा,--

(क) 

(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी को निर्वाचन-श्रेणी में के किसी निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, स्वयं या डाक-मतदान द्वारा, न कि किसी अन्य रूप से, अपना मत देने में, अवैधता:--

1950 का 43

(i) कोई ऐसा व्यक्ति, जो 1950 के अधिनियम की धारा 20 की उपवास (८) के खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट है।

1950 का 43

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसको 1950 के अधिनियम की धारा 20 की उपवास (३) के उपवास लागू होते हैं, पत्नी और जो पत्नी उस धारा की उपवास (६) के निर्देशों के अनुसार उस व्यक्ति के साथ मामूली तौर पर निवास कर रही हो;